न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2026-232RAAJodhpur2026-68RTA225 Sukharam ors Vs Hariram etc

01. सुखराम पुत्र धुडाराम
02. ओमप्रकाश विश्नोई पुत्र बीरबलराम
    सभी जातियान विश्नोई निवासी ग्राम देवडो की ढाणी तहसील आऊ जिला फलोदी।
03. मोहनीदेवी पुत्री बीरबलराम पत्नि भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी 66, जयदेवनगर, सांगरिया फाटा, जोधपुर।
04. रामेश्वरी पुत्री बीरबलराम पत्नि सवाईराम जाति विश्नोई निवासी 74. पार्श्वनाथ नगर, द्वितीय भदवासिया, जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

हरीराम पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम देवडो की ढाणी पलीना तहसील आऊ जिला फलोदी।
तहसीलदार आऊ, तहसील आऊ जिला फलोदी।

रेस्पो.....

3. बाबुडी पुत्री बीरबलराम पत्नि किशनाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पलीना तहसील आऊ जिला फलोदी।
4. बाली पुत्री बीरबलराम पत्नि सुखराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हीरामोतीनगर, जालोडा, तहसील लोहावट जिला फलोदी।
5. मनोहरी देवी पत्नि बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम देवडो की ढाणी तहसील आऊ जिला फलोदी।
6. श्यामा पुत्री बीरबलराम पत्नि चौनाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हीरा मोतीनगर, जालोडा तहसील लोहावट जिला फलोदी।
7. शान्ति पुत्री बीरबलराम पत्नि राणाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम थाटानगर, लोहावट जिला फलोदी।

परफोर्मा रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ आदेश दिनांक 19 फरवरी 2026 सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ राजस्व प्रार्थना पत्र सं 74/2025
अनवान हरीराम बनाम सुखदेव इत्यादि

उपस्थित–
श्री पुष्पेन्द्रसिंह, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 02

नि र्ण य

दिनांक : 26 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 74/2025 अनवान हरीराम बनाम सुखदेव इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2026 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 25 फरवरी 2026 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी खसरा नंबर 193/3 रकबा 2.2662 हैक्टेयर ग्राम देवड़ों की ढाणी तहसील आऊ में आवागमन हेतु अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 192/2 रकबा 4.6782 हैक्टेयर एवं अन्य रेस्पो की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 192 रकबा 4.6782 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 फरवरी 2026 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, उनकी अनुपस्थिति में तलब मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट अपीलांट्स की अनुपस्थिति में कार्यालय में बैठकर रेस्पोडेंट संख्या 1 हरीराम के कहे अनुसार तैयार की है। उक्त मौका रिपोर्ट अपूर्ण एवं अधूरी तैयार की गई, जिसमे मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 का ही खसरा 193/3 दर्शाया गया, एवं आस पडौस के खसरे जो खसरा संख्या 193 व उसके बट्टे नंबर में है, उसको दर्शाया भी नही गया है, जबकि हकीकत में खसरा संख्या 193 व उसके बट्टा नंबर रेस्पों के भाईयो व उसके परिवार के ही है. जिनमें पहले से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, जहां से रेस्पोडेंट हरीराम व उसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भाई व परिवार के सदस्य हमेशा से ही आते जाते रहते है, जो रास्ता मूल खसरा संख्या 193 से ही निकलता है एवं खसरा संख्या 193 के बंटवाडा करते समय उक्त रास्ता नहीं छोडा गया एवं वर्तमान में अपीलांट से रास्ते की मांग की जा रही है, जो कानूनन गलत है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने भाईयो एवं परिवार के मूल खसरा संख्या 193 से आवागमन किया जा रहा है एवं पहले से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट हरीराम के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से सुविधा के लिए नए रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है एवं रास्ते की मांग है तो सिर्फ अपने भाईयो, परिवार के खसरो से ही की जा सकती है, क्योकि मूल खसरा संख्या 193 में से रेस्पो हरीराम द्वारा अपने खेत में आवागमन किया जा रहा है। मौके पर अपीलांट्स के खेत मे से कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है, और ना ही कभी रहा है। अपीलांट्स के खेत में फसल खडी है, जहां से कोई रास्ता मौजूद नही है। अपीलांट्स के खेत के फसल की सुरक्षा हेतु तारबंदी की हुई है। रेस्पो. संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए रेस्पो. संख्या एक द्वारा एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स की भूमि में से रास्ता प्राप्त किया गया है तथा हल्का पटवारी, आरआई, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारियो से मिलकर दिनाक 24.02.2026 को ही नामान्तकरण संख्या 484 स्वीकृत करवाकर रास्ते के आदेश की पालना करवा दी। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68, 69 व 70 के उप नियम 1 (1) के अनिवार्य प्रावधानो की कोई पालना नहीं की है। इस कारण अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आंदेश दिनांक 19 फरवरी 2026 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स सहित सभी पक्षकारान् पर सम्मनों की सम्यक रूप से तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। तहसीलदार द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भी मौका रिपोर्ट तैयारी से पूर्व सभी पक्षकारान् को नोटिस जारी किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर 193/3 की भूमि रेस्पो. संख्या एक की खरीदसुदा खातेदारी भूमि है जो किसी भी कटाणी रास्ते से जुडी हुई नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम बताया गया है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. संख्या एक के आवागमन हेतु केवल वैकल्पिक रास्ते के कथन किये गये है। उनके द्वारा किसी भी दस्तावेज के जरिये वैकल्पिक रास्ता साबित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर धारा 251–ए की मंशा अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 06.02.2026 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खसरा नंबर 193/3 में आवागमन हेतु अपीलार्थीगण एवं अन्य रेस्पो. के खातेदारी खेत खसरा नंबर 192 एवं 192/2 की माठ से सहारे–सहारे लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट उज्र है कि प्रत्यर्थी संख्या एक की भूमि खसरा नम्बर 193/3 में आवागमन हेतु मूल खसरा नंबर 193 में से रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पो. संख्या एक की भूमि वर्तमान मे किसी भी कटाणी रास्ते से जुड़ी हुई नहीं है तथा मूल खसरा नंबर 193 के बट्टा नंबरान् में से भी रास्ता दिया जाता है तो वह अपीलाधीन रास्ते से तीन–चार गुणा लंबा है जो धारा 251–ए की मंशा के विपरीत है। लिहाजा अपीलांट्स का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आऊ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 74/2025 अनवान हरीराम बनाम सुखदेव इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2026 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर